न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 4/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1958

उनवान

श्रीमति रूपा देवी पत्नी बाबू कहार निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

प्रार्थिया

बनाम

1– प्यारा पिता बालू माली निवासी ढीकोला
2– जगदीश पिता कल्याण माली निवासी ढीकोला
3– नन्दा पिता बालू मीणा निवासी ढीकोला
4–5 धन्ना, कालू पिता नारू माली निवासी ढीकोला
6– रामप्रसाद पिता लालू मीणा निवासी ढीकोला
7–10 भवर, महावीर, कैलाश, हसराज, पिता खाना खारोल निवासी ढीकोला
11– 12 देबीलाल, हेमराज पिता राम लाल मीणा निवासी ढीकोला
13– कमला पत्नी राम लाल मीणा निवासी ढीकोला
14–15 सीता, प्रेम पुत्री काना खारोल निवासी ढीकोला
16– छोटी देवी पत्नी काना खारोल निवासी ढीकोला

विपक्षीगण

उपस्थित – श्री विनोद सनाढ्य
अधिवक्ता प्रार्थीया

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 04/01/2021

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 [illegible] विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीया के ग्राम **कल्याणपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 2352 रकबा** 0.81 है0, 2350 **रकबा** 0.28 **है0, 640/2351 रकबा 0.01 है0** कुल **किता 3 रकबा 1.10 है0** हैक्टेयर [illegible] प्रार्थीया **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहरा अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। मैनें पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम कल्याणपुरा संवत** 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीया **खातेदार** दर्ज होकर [illegible] आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **कल्याणपुरा** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात किता 3 रकबा 1.10 है0 **हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य [illegible] न हो [illegible] व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं [illegible] पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस **250/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/01/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.